

**एनईसैक आवासीय परिसर में लॉन्ड्री शॉप
संचालित करने के लिए निविदा दस्तावेज
TENDER DOCUMENT
FOR OPERATING LAUNDRY SHOP IN
NESAC RESIDENTIAL COMPLEX**

जुलाई /JULY 2024

**भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/North Eastern Space Applications Centre
उमियम/Umiam-793103, मेघालय/Meghalaya**

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/NORTH EASTERN SPACE APPLICATIONS CENTRE
उमियम/UMIAM-793103, मेघालय/MEGHALAYA

फैक्स/Fax: 0364-2570043
फोन/Tel.: 0364-2570140
ईमेल/Email:ao.nesac@nesac.gov.in

निविदा आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING TENDER

निदेशक, एनईसैक, उमियम, मेघालय प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओ, फर्मो, ठेकेदारो आदि से निम्नलिखित के लिए दो बोली में मोहरबंद प्रस्तावों को आमंत्रित करते हैं/ Director, NESAC, Umiam, Meghalaya invites sealed offers in two bids from reputed Service Providers, Firms, Contractors etc for grant of license to run the following shops:

क्र.सं/ Sl. No.	संदर्भ सं. /Ref No.	कार्य का नाम / NAME OF THE WORK	निविदा शुल्क / TENDER FEE (₹)
1	NESAC/SHOP(V)/2024	एनईसैक आवासीय परिसर, उमियम, दुकान संख्या 5 (13.35 वर्ग मीटर) में कपड़े धोने की दुकान संचालित करने के लिए/To operate Laundry Shop at NESAC Residential Complex, Umiam, Shop No. 5 (13.35 Sq Mtr.)	₹ 100/-

निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की तिथि /Date for downloading of tender document: 22.07.2024 to 05.08.2024

निविदा दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि व समय/Last date & Time for submission of tender documents : 09.08.2024 upto 1500 Hrs.

दिनांक 22.07.2024 से 05.08.2024 को स्पष्टीकरण प्रारम्भ होगा/Clarification Start from 22.07.2024 to 05.08.2024

निविदा खोलने की तिथि,समय व स्थान/ Date, Time & Venue of Bid Opening : 09.08.2024 at 1530 Hrs at एनईसैक, उमियम/ NESAC, Umiam

निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश /Instructions to Tenderers:

- पूर्ण विवरण तथा नियम व शर्तों आदि के लिए कृपया संलग्न अनुलग्नक देखें/ For full details and terms and conditions etc., please see the enclosed Annexures
- इच्छुक निविदाकर्ता एनईसैक वेबसाइट www.nesac.gov.in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और निविदा अधिसूचना में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित निविदा शुल्क के साथ निविदा दस्तावेज जमा कर सकते हैं।/Interested tenderers may download the tender documents from the NESAC website www.nesac.gov.in and submit the Tender Document along with the prescribed tender fee as per details given in the tender notification.
- टेंडर फीस का भुगतान केवल क्रॉसड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट निदेशक, एनईसैक के पक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उमियम (शाखा कोड 2010) पर तैयार होना चाहिए। टेंडर फीस वापस नहीं की जाएगी।/Tender Fee shall be paid in form of CROSSED Demand Draft only. The Demand Draft should be in favor of Director, NESAC drawn on State Bank of India, Umiam (branch Code 2010). The Tender Fee is NON-REFUNDABLE.
- निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।/Tender Document received after the due date/time will not be considered.
- सीलबंद कोटेशन/प्रस्ताव भेजते समय लिफाफे पर संबंधित निविदा संख्या और अंतिम तिथि अवश्य लिखें। /While sending sealed quotation/offer superscribe respective Tender Number and Due Date on the envelope.
- एनईसैक, उमियम पारगमन में किसी भी डाक देरी / दस्तावेजों के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। /NESAC, UMIAM is not responsible for any postal delays/loss of documents in transit.
- यदि निविदाएं प्रस्तुत करने/खोलने के लिए निर्दिष्ट तिथि को अचानक अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में निविदाएं प्रस्तुत करने/खोलने की नियत तिथि स्वचालित रूप से अगले कार्य दिवस तक स्थगित हो जाएगी। /If the date specified for submission/opening of tenders is declared as a holiday abruptly, the due date for submission/opening of the tenders in such cases shall be postponed automatically to the next working day.
- निविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि केवल प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करने पर निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं। उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रत्येक निविदाकर्ता से केवल एक प्रतिनिधि को अनुमति दी जाएगी। /Tenderers or their Authorized Representative may attend to witness the Tender opening, only on production of **Authorization Letter**. Only one Representative from each Tenderer will be allowed for the above purpose.
- निविदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए तथा उन्हें एनईसैक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिन पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर नहीं लगी होगी, उन्हें अमान्य माना जाएगा तथा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। /All pages forming part of the tender documents should be duly signed, stamped and submitted to NESAC. Pages not signed and stamped will be treated as invalid and rejected.

दिनांक /Dated: 22.07.2024

हस्ता/-/Sd/-
निदेशक, एनईसैक / Director NESAC

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/NORTH EASTERN SPACE APPLICATIONS CENTRE
उमियम/UMIAM-793103, मेघालय/MEGHALAYA
फोन/Tel: 0364-2570140, फैक्स/Fax: 2570043

No. NESAC/ADMN/EM/SHOPS/2024

दिनांक/Date: जुलाई/July 22, 2024

निविदा अधिसूचना /TENDER NOTIFICATION

निदेशक, एनईसैक, उमियम, मेघालय प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं, फर्मों, ठेकेदारों आदि से निम्नलिखित के लिए दो बोली में मोहरबंद प्रस्तावों को आमंत्रित करते हैं/ Director, NESAC, Umiam, Meghalaya invites sealed offers in two bids from reputed Service Providers, Firms, Contractors etc for grant of license to run the following shop:

क्र.सं. /Sl. No.	श्रेणी /Category	दुकान संख्या एवं क्षेत्र /Shop No. and area	स्थान/Location
1	लांड्री शॉप संचालित करने के लिए (एक) /To operate Laundry Shop (one)	दुकान सं. /Shop No. 5 (13.35 Sq Mtr)	सुविधा भवन (एमेनिटी बिल्डिंग), एनईसैक आवासीय परिसर। Amenity Building, NESAC Residential Complex.

सफल बोलीदाता को बोली दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार इस संबंध में एक अनुबंध निष्पादित करना होगा।/The successful bidder will have to execute a contract in this regard as per the terms and conditions mentioned in the bid document.

आवेदकों को बोलियों के साथ ₹500/- (पांच सौ रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करानी होगी, जो निदेशक, एनईसैक के पक्ष में तैयार और उमियम में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी। सफल बोलीदाता को छोड़कर बाकी सभी को निविदाओं के अंतिम रूप देने के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता के लिए, बयाना राशि को सुरक्षा जमा के साथ समायोजित किया जाएगा। /The bids from the applicants should be accompanied with Earnest Money Deposit of ₹500/- (Rupees Five Hundred only) in the form of Demand Draft drawn in favour of Director, NESAC and payable at Umiam. The EMD will be refunded after the finalization of the tenders except to the successful bidder. For the successful bidder, the Earnest Money Deposit will be adjusted with the security deposit.

आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, उमियम, 793103, मेघालय को सीलबंद लिफाफे में 05.08.2024 को 1500 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। निविदा बोलियों को खोलने की नियत तिथि 05.08.2024 को 1530 बजे है।/The application form duly filled in and signed by the applicant should reach the Administrative Officer, North Eastern Space Applications Centre, Govt. of India, Dept of Space, Umiam, 793103, Meghalaya in sealed cover on or before 05.08.2024 by 1500 hrs. The due date for opening of the tender bids is 05.08.2024 at 1530 hrs.

संपदा प्रबंधक, एनईसैक, उमियम को इस निविदा अधिसूचना के तहत प्राप्त किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। /Estate Manager, NESAC, Umiam reserves the right to reject any or all the applications received against this tender notification without assigning any reasons thereof.

प्रशासनिक अधिकारी/ Admn Officer /
संपदा प्रबंधक / Estate Manager

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/NORTH EASTERN SPACE APPLICATIONS CENTRE
उमियम/UMIAM-793103, मेघालय/MEGHALAYA
फोन/Tel: 0364-2570140

एनईसैक, उमियम में लॉन्ड्री शॉप चलाने की अनुमति के लिए आवेदन
APPLICATION FOR PERMISSION TO OPERATE LAUNDRY SHOP AT NESAC, UMIAM

1. आवेदक का पूरा नाम / Full Name of the Applicant :
2. स्टोर/दुकान का प्रकार जिसके लिए आवेदन किया गया :
Type of Store/Shop applied for
3. वर्तमान पत्राचार पता फोन नं. / Present correspondence :
address with Phone No
4. क) यदि निविदा साझेदारी फर्म की ओर से है तो व्यक्तियों के नाम व पता :
बताएं तथा बताएं कि क्या वह साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
a) In case tender is from a Partnership firm give Names
and address of persons and state Whether registered
under Partnership Act
5. जन्म की तारीख / Date of Birth :
6. संबंधित क्षेत्र में पिछला अनुभव (अनुभव प्रमाण पत्र और :
घोषणा प्रस्तुत की जानी है)
Previous experience in the relevant field
(Experience certificate and declaration to be
furnished)
7. पैन नं. / PAN No. :
8. बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक का नाम :
Bank Account No., IFSC Code and Name of the Bank
9. पहचान प्रमाण (आधार)/Identity Proof (Adhaar) :
10. निवेश की जाने वाली संभावित राशि / Amount likely to be :
invested
11. निवेश का स्रोत / Source of investment :
12. आप लॉन्ड्री की दुकान चलाने के लिए NESAC को प्रति माह कितना :
लाइसेंस शुल्क देने को तैयार हैं (कृपया राशि का उल्लेख अंकों और शब्दों में करें)
/How much license fee you are ready to pay :
per month to NESAC for operating the laundry
shop (please mention the amount in figure and
words)

आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of Applicant

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

समझौते की शर्तें एवं नियम /Terms & Conditions of the Agreement

1. समझौते का सार यह है कि 13.35 वर्ग मीटर के क्षेत्र में लांड्री शॉप का संचालन/संचालन किया जाएगा, ताकि लाइसेंसकर्ता और एनईसैक आवासीय परिसर, उमियम के निवासियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए दैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।/The essence of the agreement is to operate / run Laundry Shop in an area of 13.35 Sq. Mtr. to cater to the daily requirements to the complete satisfaction of the Licensor and residents of NESAC Residential Complex, Umiam.
2. इच्छुक आवेदक आवेदन करने से पहले निरीक्षण के लिए साइट पर जा सकते हैं।/Interested applicants can visit the site for inspection before applying.
3. लाइसेंस शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से, प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख से पहले किया जाएगा, जैसा कि लाइसेंस आदेश में विस्तृत रूप से बताया गया है। लाइसेंस शुल्क में समझौते की तिथि से हर साल दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।/License fee shall be payable in advance, before 10th of every calendar month as detailed in grant of license order. The License fee will be increased by ten percent every year counting from the date of agreement entered into.
4. लाइसेंसधारी को लाइसेंसकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के उपभोग के लिए उस दर पर भुगतान करना होगा, जिसे लाइसेंसकर्ता द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है और इसका भुगतान आगामी कैलेंडर माह के 10वें दिन के भीतर किया जाएगा।/The Licensee shall pay for the consumption of water, electricity and other amenities provided by Licensor at the rate, that may be fixed from time to time by Licensor and the same shall be paid within the 10th day of the succeeding calendar month.
5. लाइसेंसधारी उक्त परिसर के संबंध में सरकार या नगर पालिका या किसी अन्य स्थानीय निकाय को सभी प्रभार, उपकर, कर, मूल्यांकन जो भी देय हों या इसके बाद देय हों, का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दरों पर करेगा।/The Licensee shall pay all charges, cesses, taxes, assessments whatsoever payable or hereafter become payable to the Government or Municipality or to any other local body in respect of the said premises at the rates prescribed from time to time.
6. निदेशक, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, उमियम, 793103, मेघालय के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ₹ 5000/- (केवल पाँच हजार रुपये) की राशि सुरक्षा जमा के रूप में जमा करनी होगी। लाइसेंसकर्ता के पास जमा की गई सुरक्षा जमा राशि इस समझौते के विभिन्न प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारी के रूप में उसके द्वारा पूरा किए जाने वाले दायित्वों के उचित और ईमानदारी से निर्वहन की गारंटी के रूप में काम करेगी। सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।/An amount of ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) has to be paid as Security Deposit by a Demand Draft drawn in favour of Director, North Eastern Space Applications Centre, Govt. of India, Dept of Space, Umiam, 793103, Meghalaya. The Security Deposit made with the Licensor shall serve as a guarantee for the due and faithful discharge of his obligations to be fulfilled by him/her as Licensee under the various provisions of this agreement. The Security deposit will bear no interest.
7. लाइसेंसकर्ता द्वारा जारी नकद रसीद प्रस्तुत करने पर तथा लाइसेंसकर्ता को कोई बकाया न दर्शाने वाला निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों के अधीन, लाइसेंस की समाप्ति या निरस्तीकरण पर लाइसेंसधारक को सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी। लाइसेंस की समाप्ति या निरस्तीकरण की तिथि से 6 महीने के भीतर इसका दावा किया जाना चाहिए और उस अवधि के बाद दावा समाप्त हो जाएगा। सुरक्षा जमा की वापसी हमेशा लाइसेंसधारक के विरुद्ध लाइसेंसकर्ता के दावों के अधीन होती है। /Subject to the terms and conditions mentioned above, the Security deposit shall be refunded to the Licensee on the termination or cancellation of the License, on producing cash receipt issued by the Licensor and on production of clearance certificate showing no arrears to Licensor. The same shall be claimed within 6 months from the date of termination or cancellation of License and after that period the claim will lapse. The refund of security deposit is always, subject to the claims of the Licensor against the Licensee.

8. दुकान संचालन हेतु अनुबंध की अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। दो वर्ष पूर्ण होने पर आपसी सहमति से अनुबंध को तीसरे वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। /The period of contract to operate the shop shall be initially for one year, which can be extended for one more year on mutual consent. On completion of two years, the contract can be further extended for third year if mutually agreed. The maximum period of contract shall not exceed three years.
9. लाइसेंसधारी को अपने व्यापार के लिए कानून के तहत आवश्यक सभी लाइसेंस/अनुमति स्वयं अपने खर्च पर प्राप्त करनी होगी। किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थान का उपयोग करने से पहले, किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानून द्वारा आवश्यक किसी भी लाइसेंस को प्राप्त करने या नवीनीकृत करने में लाइसेंसधारी की ओर से विफलता के मामले में, लाइसेंसकर्ता चौबीस घंटे के नोटिस पर लाइसेंस को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।/The Licensee shall at his/her own cost obtain all licenses/ permission, required under law for his/her trade. In case of failure on the part of the Licensee to obtain or renew any Licenses, required by any local authority or law, before using the place for the particular purpose, it shall be open to Licensor to terminate the License on twenty four hour notice.
10. लाइसेंसधारी द्वारा समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में यह समझौता तत्काल समाप्त किया जा सकेगा।/This agreement is liable to be summarily terminated in the event of breach of any conditions of the agreement by the Licensee.
11. लाइसेंसधारी की मृत्यु, दिवालियापन या किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्धि की स्थिति में, लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। /In the event of death or insolvency or conviction by a criminal court for an offence involving moral turpitude of the Licensee, the License shall be cancelled forthwith.
12. यदि लाइसेंसधारी एनईसैक, उमियम समुदाय के हितों के प्रतिकूल किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो लाइसेंसकर्ता को दुकान के संचालन के लिए अनुबंध और अनुमति को रद्द करने और कार्यकाल के दौरान किसी भी समय लाइसेंसधारी को निष्कासित करने का अधिकार है।/The Licensor has power to cancel the contract and permission for operating the shop and expel the Licensee at any time during the tenure if Licensee is found indulging in any illegal activities found prejudicial to the interests of the NESAC, Umiam Community.
13. समझौते को किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। /The Agreement can be terminated on one month's notice on either side.
14. यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी ने बिना कोई नोटिस दिए खुद से व्यवसाय करना बंद कर दिया है और व्यवसाय की ऐसी समाप्ति एक महीने या उससे अधिक की अवधि तक जारी रहती है, तो लाइसेंसकर्ता को लाइसेंस को तुरंत समाप्त करने और परिसर खाली करने की तिथि तक देय लाइसेंस शुल्क और लाइसेंसधारी को देय अन्य शुल्कों सहित सभी बकाया राशि को लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि से समायोजित करने का अधिकार होगा। लाइसेंसकर्ता द्वारा लाइसेंस की ऐसी समाप्ति के लिए लाइसेंसधारी को कोई नोटिस अवधि देने की आवश्यकता नहीं होती है। /If it is found that Licensee has stopped doing business on his own without giving notice and such cessation of business continues for a period of one month or more, the Licensor shall have the right to terminate the License forthwith and adjust all dues including License Fee payable till date of the vacation of the premises and such other charges as are due to the Licensor, from the Security deposit paid by the Licensee. Such termination of the License by the Licensor does not require any notice period to be given by the Licensor to the Licensee.
15. यदि लाइसेंसधारी की, अनुबंध के जारी रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो यह अनुबंध पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और लाइसेंसधारी के उत्तराधिकारियों, प्रशासकों, निष्पादकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों का अनुबंध के अंतर्गत या अन्यथा सुरक्षा जमा राशि की वापसी के लिए दावे के संबंध में, इस संबंध में इसमें दिए गए प्रावधान के अधीन, किसी भी प्रकार का कोई हित नहीं होगा, बशर्ते कि इस खंड में दी गई कोई भी बात लाइसेंसकर्ता के ऐसे उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध या इस अनुबंध में उल्लिखित लाइसेंसधारी द्वारा अनुबंध के किसी उल्लंघन के संबंध में, इस जीवनकाल में या इस अनुबंध के प्रावधानों के आधार पर लाइसेंसकर्ता के पास मौजूद क्षतिपूर्ति के किसी अधिकार के संबंध में, किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह या प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। /If the Licensee dies during the continuance of the agreement, this agreement shall absolutely cease and the heirs, administrators or executors or other legal representatives of the

said Licensee shall have no interest whatsoever under the agreement or otherwise other than in respect of a claim for the return of the Security Deposit money, subject to the provision herein contained as to the same, provided that nothing therein in this clause contained shall be deemed to prejudice or affect any claim which the Licensor may have against such heirs, executors, administrators or other legal representatives or in respect of any breach of the agreement by the said Licensee herein contained this lifetime or any right of indemnity the Licensor may have under and by virtue of the provisions of this agreement.

16. लाइसेंसधारी उचित दरों पर सेवाएं प्रदान करेगा जो उमियम बाजार दर के बराबर होंगी। /The Licensee shall provide services at reasonable rates which are at par with the Umiam market rate.
17. यदि लाइसेंस शुल्क का भुगतान बकाया हो जाता है या देय तिथि के बाद 10 दिनों तक भुगतान न किया जाए या लाइसेंसधारी की ओर से समझौते की शर्तों और नियमों के अनुसार कार्य करने में उपेक्षा की स्थिति में या लाइसेंसधारी दिवालिया हो जाए या लाइसेंसधारी का सामान और संपत्ति लेनदारों द्वारा जब्त कर ली जाए, तो लाइसेंसकर्ता या इस ओर से अधिकृत किसी भी व्यक्ति के लिए समझौते को समाप्त करना और अनुमति को रद्द करना वैध होगा और लाइसेंसकर्ता के लिए सभी स्टॉक, फिटिंग आदि को हटाना और किए गए व्यय की भरपाई करना और लाइसेंस शुल्क, फिटिंग आदि के बकाया के रूप में देय अन्य बकाया राशि वसूलना वैध होगा, ऐसे मामलों में लाइसेंसकर्ता, यदि आवश्यक हो तो ताला तोड़कर लाइसेंसधारी को निष्कासित करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। / If the payment of License Fee falls in arrears or shall remain unpaid for 10 days, after the due date or in the event of neglect on the part of Licensee to act up to the terms and condition of the agreement or of the Licensee becomes insolvent or the Licensee's goods and property be, attached by creditors, it shall be lawful for the Licensor or any one authorized in this behalf to terminate the agreement and cancel the permission and it shall be lawful for the Licensor to remove all stock, fittings etc., and recoup and recover such expenditure as may have been incurred and other dues, payable by way of arrears of License Fee fittings etc., Licensor in such cases, shall also be at liberty to expel the Licensee, if necessary after breaking the lock.
18. यदि लाइसेंसधारी की ओर से किसी चूक के परिणामस्वरूप लाइसेंसकर्ता को कोई व्यय करना पड़ता है, तो इस समझौते के प्रावधान के तहत और उपरोक्त शर्त के तहत देय किसी भी धनराशि को लाइसेंसधारी द्वारा उचित और ईमानदारी से किए गए कार्य के लिए प्रस्तुत सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है और लाइसेंसधारी को ऐसी सभी कमियों को पूरा करना होगा। तथापि, यदि लाइसेंसकर्ता को देय धनराशि लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त सुरक्षा जमा से अधिक है, तो लाइसेंसधारी लिखित में नोटिस प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर लाइसेंसकर्ता को इसकी भरपाई करेगा और यदि लाइसेंसधारी उक्त धनराशि की भरपाई करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसकर्ता के लिए लाइसेंसधारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करके ऐसी किसी भी शेष राशि की वसूली करना भी वैध होगा।/In case any expense the Licensor may put in consequences of any act of default on the part of the Licensee, under the provision of this agreement and any money due under above condition may also be deducted from the Security deposit furnished by the Licensee for the due and faithful performance of the Licensee and the Licensee shall make good all such deficiencies. If however the money due to Licensor exceeds the aforesaid Security deposit furnished by the LICENSEE, The Licensee shall make good of the same to Licensor within 7 (Seven) days after the receipt of notice in writing to do so and if the Licensee fails to make good of the said money, it shall also be lawful for Licensor to recover any such balance by instituting legal proceedings against the Licensee.
19. परिसर का उपयोग गोदाम या स्टोर रूम के रूप में या जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। परिसर को इच्छित सेवाएं प्रदान करने के लिए 06 घंटे (सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक और शाम 04:00 बजे से 08:00 बजे तक) खुला रखा जाएगा। परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्य या मवेशियों, कुत्तों या जानवरों को बांधने के लिए नहीं किया जाएगा।The premises shall not be used as go-down or store room or for any purpose other than that for which it was given. The premises shall be kept open for 06 hours (Morning 08:00 AM to 10:00 AM and Evening 04:00 PM to 08:00 PM) for providing the intended services. Premises shall not be used for residential purpose or for tethering of cattle or dogs or animals.

20. यद्यपि विद्युत फिटिंग लाइसेंसकर्ता द्वारा प्रदान की गई है, फिर भी लाइसेंसधारी को ऐसी गुणवत्ता, निर्माण, कैंडल पावर आदि के बल्ब प्रदान करने होंगे, जैसा कि लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।/Though the Electric fittings have been provided by the Licensor, the licensee shall provide bulbs of such quality, make, candle powers etc., as may be prescribed by the Licensor.
21. संपदा प्रबंधक, एनईसैक की पूर्व अनुमति के बिना परिसर की दीवारों या फर्श में किसी भी प्रकार की कील या खूंटी नहीं ठोंकी जाएगी।/No nail or peg of any kind shall be driven into the walls or the floors of the premises, without prior permission from Estate Manager, NESAC.
22. परिसर का लाइसेंसधारी ऐसे परिसर को जितनी बार आवश्यक हो, साफ करवाएगा तथा परिसर के आस-पास के क्षेत्र को पूरी तरह से साफ और सुव्यवस्थित स्थिति में रखेगा। दुकान और दुकान के सामने साफ-सफाई बनाए रखना लाइसेंसधारी की पूरी जिम्मेदारी होगी।/The licensee of the premises shall cause such premises to be cleaned as often as may be necessary and shall keep the surrounding areas of the premises absolutely clean and in tidy condition. Maintaining cleanliness in shop and front of the shop will be sole responsibility of the Licensee.
23. जब लांड्री शॉप खुली रहेगी तो लाइसेंसधारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से परिसर में उपस्थित रहेगा।/The Licensee or his/her duly authorized person shall be present, in person at the premises when the Laundry Shop is kept open.
24. लाइसेंसधारी परिसर में बिना देखरेख के खुली आग या प्रकाश न रखें। /The Licensee should not keep naked fire or light in the premises unattended.
25. लाइसेंसकर्ता परिसर के किसी भी भाग की मरम्मत या सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा परिसर का कोई भी लाइसेंसधारी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।/The Licensor reserves the right of repairing or improving any part of the premises and no Licensee of the premises shall make any alteration whatsoever.
26. परिसर का लाइसेंसधारी परिसर को हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे नुकसान के लिए मुआवजा देगा। लाइसेंसधारी सभी मरम्मत की लागत और परिसर को हुए नुकसान के अलावा सामान्य टूट-फूट की लागत का भुगतान करेगा। उक्त मरम्मत लाइसेंसकर्ता द्वारा लाइसेंसधारक की लागत पर की जाएगी, तथा ऐसी मरम्मत की लागत लाइसेंसकर्ता को इस संबंध में अधिकृत लाइसेंसकर्ता के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार भुगतान की जाएगी।/Licensee of the premises shall be responsible for any damages done to the premises and shall pay compensation for such damages. The Licensee shall pay the cost of all repairs, and damages to the premises other than those attributable to ordinary wear and tear. The said repairs shall be carried out by Licensors at the Licensee's cost, and the cost of such repairs shall be paid to the Licensor in accordance with the assessment made by the representatives of Licensor authorized in this behalf.
27. यदि लाइसेंस की समाप्ति पर लाइसेंसधारी लाइसेंसकर्ता की संपत्ति से हटने में असफल रहता है तथा परिसर और अन्य अनुलग्नों को अच्छी स्थिति में, सामान्य टूट-फूट को ही स्वीकार करते हुए, शांतिपूर्वक सौंप नहीं पाता है, तो लाइसेंसकर्ता लाइसेंसधारी को परिसर से निष्कासित करने तथा मौजूदा कानून के अनुसार परिसर में प्रवेश करने और उसे अपने अधिकार में लेने तथा सभी स्टॉक फिटिंग्स आदि को हटाने के लिए स्वतंत्र होगा, बिना किसी क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने के दायित्व के तथा उससे हुई किसी हानि का दावा करने का भी हकदार होगा।/If the Licensee fails to withdraw from the properties of the Licensor on the termination of the License and peacefully deliver up the premises and other appurtenances thereto in good condition, normal wear and tear alone accepted, the Licensor shall be at liberty to expel the Licensee of the premises and enter and take over the premises as per the extant law and remove all stock fittings etc., without any liability to pay damages or compensation and also be entitled to claim from him/her any loss sustained thereby.
28. लाइसेंसधारी को अपने स्वयं के खर्च पर परिसर, स्टॉक, वस्तुओं आदि का आग, चोरी आदि के विरुद्ध बीमा कराना होगा। लाइसेंसधारी को आग या किसी अन्य कारण से हुई किसी क्षति के लिए लाइसेंसकर्ता से किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।/The Licensee shall insure at his /her own cost the premises, stock, articles etc., against fire, theft etc. the Licensee shall not be entitled to claim any

compensation from Licensor for any damage which the licensee may sustain on account of fire or any other causes.

29. लाइसेंसधारी पड़ोस में खतरनाक महामारी के प्रकोप या फैलने पर लाइसेंसकर्ता द्वारा अपेक्षित होने पर तथा जब तक यह आवश्यक समझा जाए, तब तक सेवाएं प्रदान करना बंद कर देगा, तथा ऐसी किसी अवधि के लिए लाइसेंसकर्ता से कोई क्षतिपूर्ति नहीं मांगेगा, जिसके दौरान सेवाएं बंद की गई हों। लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क आदि की पूर्णतः या आंशिक वापसी या किसी अवधि के लिए किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, जब उसके उपयोग में आने वाले परिसर को मरम्मत, परिवर्तन या किसी अन्य कारण से बंद करना पड़े, जिसके दौरान वह ऐसी सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ हो। लाइसेंसकर्ता लाइसेंसधारी के प्रति, उसकी किसी भी संपत्ति, जिसमें माल, लेख और वस्तुएं शामिल हैं, या उसके द्वारा नियोजित नौकरों और कर्मचारियों को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। /The Licensee shall stop providing services when required by the Licensor on the occurrence or outbreak of dangerous epidemic in the neighborhood, etc and for as long as it is considered necessary, without claiming any compensation from the Licensor for any such period during which services have been stopped. The Licensee shall not be entitled to refund of License fee etc., in whole or in part or to any compensation for any period, the premises in his/her use may be required to be closed for repairs, alternations or for any other cause during which he/she is unable to use such accommodation. The Licensor shall not be liable to Licensee, for any loss or damage caused to any of his/her property including goods, articles and commodities or to the servants and staff employed by him/her.
30. लाइसेंसधारी अपनी सेवाओं से ऐसे कर्मचारी को हटा देगा जो लाइसेंसकर्ता की राय में वांछनीय नहीं है या किसी भी तरह से परिसर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उद्देश्य के लिए अयोग्य या अनुपयुक्त है। लाइसेंसधारी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाने वाला अधिकृत व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला और किसी भी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। /The Licensee shall discharge from his/her services an employee who in the opinion of the Licensor is not desirable or in any way unfit or unsuitable for the purpose of services to be provided on the premises. The authorized person to be deputed by the Licensee should be of good moral character, well behaved and free from any diseases.
31. लाइसेंसधारी द्वारा तैनात किसी भी व्यक्ति को लांड्री शॉप के समय के बाद परिसर में रहने या आवासीय उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। /None of the persons deployed by the Licensee shall be allowed to be in the premises after timings of Laundry Shop or to use the premises for the residential purpose.
32. लाइसेंसधारी परिसर का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्यकलाप के लिए नहीं करेगा जिसके लिए उसे उपलब्ध कराया गया है। /The Licensee shall not use the premises for any other activities except the purpose for which it has been provided.
33. स्टोर चलाने के लिए आवश्यक जनशक्ति, सामग्री, वित्त और विशेषज्ञता की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंसधारी विशेष रूप से जिम्मेदार होगा और इसलिए ठेकेदार द्वारा स्टोर चलाने के उद्देश्य से तैनात सभी व्यक्ति सभी उद्देश्यों के लिए लाइसेंसधारी के नियंत्रण में होंगे। लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारी द्वारा तैनात व्यक्तियों के बीच कोई स्वामी और नौकर का रिश्ता नहीं होगा। /The Licensee will be exclusively responsible for arranging manpower, material, finance and expertise required for running the store and therefore all the persons deployed by the contractor for the purpose of running the same shall be at the control of the Licensee for all the purpose. No master and servant relationship shall exist between Licensor and the persons deployed by the Licensee.
34. यदि दुकान बंद करनी हो तो लाइसेंसधारी को लाइसेंसकर्ता को सूचित करना होगा। दुकान/दुकानों को बंद करने के लिए पूर्व सूचना देनी होगी; दुकान/दुकानों को बंद करने और फिर से खोलने का विवरण पहले से ही सूचित की जाएगी। यदि लाइसेंसधारी उक्त शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो उस पर प्रतिदिन ₹ 500/- का जुर्माना लगाया जाएगा। /Licensee should intimate to the Licensor in case the shop is to be closed. For closure of store/shops, prior notice is to be given; details of closure and reopening of store/shops should be intimated well in advance. If Licensee fails to follow the said conditions, a penalty of ₹ 500/- per day will be imposed.

35. परिसर के प्रत्येक लाइसेंसधारी को लाइसेंसकर्ता या परिसर का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किसी भी कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए परिसर के प्रत्येक भाग तक हर समय मुफ्त पहुंच प्रदान करनी होगी। / Every Licensee of the premises shall afford at all times free access to every part of the premise for the purpose of inspection by the Licensor or any staff deputed for the purpose to inspect the premises.
36. लाइसेंसधारी, अनुबंध की शर्तों के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले लाइसेंसकर्ता के निर्देशों और आदेशों का अनुपालन करेगा तथा व्यवसाय के संचालन से संबंधित सभी मामलों में लाइसेंसकर्ता के निर्देशों का पालन करेगा। / The Licensee shall comply with the direction and orders of the Licensor that may be issued from time to time as regards the working out of the terms of the agreement and shall obey the directions of the Licensors in all matter pertaining to the conduct of the business.
37. इसमें निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उक्त परिसर के अधिभोगी के पक्ष में किरायेदारी का सृजन हो और लाइसेंसकर्ता उक्त परिसर पर कार्रवाई कर सकता है तथा उस पर कब्जा कर सकता है। / Nothing herein contained shall be construed to create a tenancy in favour of the occupier of the said premises and the Licensor may act upon and make possession of the said premises.
38. लाइसेंसधारी दुकान या उसका कोई भाग किसी को उप-पट्टे पर नहीं देगा। / The Licensee shall not sublet the shops or any part thereof to anyone.
39. लाइसेंसधारी को हर समय कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, रोजगार के घंटे विनियमन, बच्चों के रोजगार अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के संबंध में सभी वैधानिक विनियमों का विधिवत पालन करना होगा। लाइसेंसधारी इसके द्वारा लाइसेंसकर्ता को उन सभी दावों और दंडों से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है, जो लाइसेंसकर्ता या उनके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों के उचित पालन और प्रदर्शन में लाइसेंसधारी की ओर से किसी भी चूक के कारण भुगतान पड़ सकता है। / The Licensee shall at all times duly observe all the statutory regulations in regard to Workmen's Compensation act, Shop and Establishment Act, Payment of Wages Act, Hours of Employment Regulations, Employment of Children Act, Minimum Wages Act, etc. The Licensee hereby agrees to indemnify the Licensor from and against all claims and penalties which may be suffered by the Licensor or any person employed by them by reason of any default on the part of the Licensee in the due observance and performance of the provisions of the aforesaid acts.
40. अन्यथा प्रावधान के सिवाय, लाइसेंसकर्ता की ओर से जारी किए जाने वाले सभी नोटिस और की जाने वाली कार्रवाई, लाइसेंसकर्ता की ओर से संपदा प्रबंधक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाएगी या की जाएगी। / Save as otherwise provided all notice to be issued and action to be taken on behalf of Licensor shall be given or taken on behalf of Licensor by Estate Manager or any one authorized in this behalf.
41. इसके अंतर्गत कोई भी नोटिस लाइसेंसधारी को विधिवत दिया गया माना जाएगा यदि वह व्यक्तिगत रूप से दिया गया हो या डाक द्वारा भेजा गया हो, उसे ऊपर उल्लिखित पते पर भेजा गया हो या लाइसेंसधारी की अनुपस्थिति या नोटिस प्राप्त करने में विफलता या इनकार करने पर परिसर के सामने चिपका दिया गया हो। / Any notice hereunder shall be deemed duly served on the Licensee if delivered personally or sent by post, to him/her above mentioned address or affixed to the front of the premises in the licensee's absence or failure or refusal to receive such notice.
42. इस समझौते के तहत किसी भी समय लाइसेंसकर्ता द्वारा अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में विफलता किसी भी तरह से इसकी वैधता और बाद में किसी भी समय लाइसेंसकर्ता के अपने अधिकारों को लागू करने के अधिकार को प्रभावित या बाधित नहीं करेगी। / The failure of the Licensor at any time to exercise any of its rights under this agreement shall in no way impair or affect its validity and Licensor's right to enforce its rights at any time subsequently.

43. समझौते से उत्पन्न किसी भी विवाद या कार्यवाही पर विचार करने का क्षेत्राधिकार केवल शिलांग स्थित न्यायालयों को होगा।/The Courts at Shillong alone shall have the jurisdiction to entertain any dispute or proceedings arising out of the agreement.

NEWSAC